भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1195

दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

लिंग-आधारित हिंसा और सुरक्षा

1195. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2022 में 31,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें दोषसिद्धि दर लगभग 27-28 प्रतिशत रही, यदि हां, तो सरकार की किस प्रकार, उच्चतर दोषसिद्धि दर और पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना है; और

(ख) वर्ष 2023-24 तक निर्भया फंड आवंटन का 25 प्रतिशत भाग अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, बलात्कार के 31516 मामले दर्ज किए गए और दोषसिद्धि दर 27.4% थी।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, कानून- व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है; वे ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं।

तथापि, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए तथा विधायी और संस्थागत ढांचे के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने बलात्कार और अन्य लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए उच्चतर दोषसिद्धि दर और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं:

(i) भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 अधिनियमित किए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। ये कानून, बीएनएस के अध्याय V के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को समेकित और सुव्यवस्थित करते हैं तथाअधिक पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं।

(ii) बीएनएसएस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें बलात्कार सहित महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों की शिकायतों के शीघ्र पंजीकरण और समय पर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर के प्रावधान हैं।

(iii) बीएनएसएस की धारा 179 महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस थाने जाने से छूट देती है और उनके घर पर ही पूछताछ का प्रावधान करती है। बीएनएसएस की धारा 180 में बलात्कार की पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा दर्ज करने का प्रावधान है। पीड़िता को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के अपराध से संबंधित जाँच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो/वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा।

(iv) बीएनएसएस की धारा 183 में यह प्रावधान भी है कि बलात्कार सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में, पीड़िता का बयान यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा तथा उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़िता के लिए एक अनुकूल परिवेश बन सके।

(v) धारा 193 में यह भी अनिवार्य है कि पीड़िता को 90 दिनों के भीतर उसके मामले की प्रगति की जानकारी दी जाए। इस धारा में यह भी अनिवार्य है कि बलात्कार के मामलों और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 और 8 के तहत आने वाले मामलों में, जाँच दो माह की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए। बीएनएसएस की धारा 346 में यह अनिवार्य है कि

बलात्कार के अपराध सहित कुछ अपराधों में, आरोप-पत्र दाखिल होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर जाँच या सुनवाई पूरी कर ली जाए।

(vi) बीएनएसएस की धारा 396 में पीड़िता मुआवज़ा योजना के लिए एक ढाँचा निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट झेलने वाले और पुनर्वास की आवश्यकता वाली पीड़िता या आश्रितों को मुआवज़ा देने के उद्देश्य से निधि प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार करे। राज्य पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं को सहयोग देने और पूरक बनाने के लिए, निर्भया कोष के अंतर्गत एकमुश्त अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपये, केंद्रीय पीड़ित मुआवज़ा कोष (सीवीसीएफ) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए ताकि विभिन्न अपराधों, विशेष रूप से बलात्कार, एसिड हमलों आदि सहित लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जा सके।

(vii) भारत सरकार ने विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफार्मों को स्थापित करके सुदृढ़ संस्थागत ढांचे के लिए लगातार सहायता प्रदान की है, जैसे कि अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) जो पुलिस, जांचकर्ताओं, अभियोजकों और न्यायालयों को एफआईआर दर्ज करने के चरण से लेकर दोषसिद्धि तक त्वरित न्याय के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, लैंगिक अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ), अपराध बहु एजेंसी केंद्र (क्राइ-मैक), लैंगिक अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) और मानव दुर्व्यापार अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ)।

(viii) निर्भया कोष के तहत वर्ष 2019 से, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दिनांक 30.05.2025 तक, 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 747 एफटीएससी (406 पॉक्सो सहित) कार्यशील हैं, जिन्होंने 3.30 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है, जिससे मुकदमे के निपटारे में होने वाली देरी में काफी कमी आई है।

(ix) जघन्य अपराधों के मामलों में फोरेंसिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सरकार ने चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक सेंटर फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की है। इस डीएनए प्रयोगशाला में लैंगिक उत्पीड़न और बाल शोषण से संबंधित आपराधिक मामलों की जाँच के लिए चार स्वतंत्र इकाइयाँ अर्थात् लैंगिक उत्पीड़न और हत्या इकाई, मानव/आपदा पीड़ित पहचान इकाई, पितृत्व पहचान इकाई और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इकाई हैं, जिनकी वार्षिक जाँच क्षमता 2,000 मामलों की है। इसके अलावा,

निर्भया कोष के अंतर्गत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(x) जाँच और मुकदमे की तैयारी में सुधार के लिए 35,306 जाँच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सटीक और समय पर साक्ष्य संग्रह की सुविधा के लिए 18,020 लैंगिक उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट वितरित की गई हैं।

(ख): महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित निर्भया कोष के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल 7712.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्भया कोष से जारी और उपयोग की गई कुल राशि 6232.83 करोड़ रुपये है, जो कुल आवंटन का लगभग 81% है।

निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजनाएँ/योजनाएँ माँग-आधारित हैं। निर्भया कोष के ढांचे के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा आरंभ में मूल्यांकन की गई परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन आमतौर पर चरणों में होता है। कुछ मूल्यांकित परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे किया जाता है। हालाँकि, अधिकांश परियोजनाएँ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्धारित निधि साझाकरण पद्धति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करती है। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन अनुमोदित समय-सीमा के अनुसार राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, कुछ योजनाएँ ऐसी भी हैं जिनमें लंबे समय तक सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिनके लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर अतिरिक्त निधि जारी की जाती है। इसलिए, यह संभव है कि वास्तव में अधिक निधि का उपयोग किया गया हो, लेकिन जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार, आवश्यकतानुसार उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हों। राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे उपयोगिता प्रमाण-पत्र और व्यय-विवरण समय पर प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, अनुबंध/निविदा प्रदान करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि जैसे कई अन्य कारक भी योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन समयसीमा को प्रभावित करते हैं।

*****